109

समक्ष माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी प्र0क्र0 2616-I/16 निगरानी   सन् 2016

मूलचन्द्र कुशवाहा तनय नवला कुशवाहा
निवासी लवकुशनगर जिला छतरपुर म0प्र0 ....निगरानीकर्ता / आवेदक

बनाम

1. आशाराम तनय कसिया धोबी
निवासी वार्ड नं0 13 लवकुशनगर
जिला छतरपुर म0प्र0
2. निझार खॉ तनय मल्लू खॉ
निवासी वार्ड नं0 15 लवकुशनगर
जिला छतरपुर म0प्र0 ....गैरनिगरानीकर्तागण / अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

विषय – निगरानी विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय लवकुशनगर के रा0प्र0क्र0 53 / अ–6 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2016 से दुखित होकर।

मान्यवर महोदय,

निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करता है –

1. यह कि भूमि खसरा नं0 380 / 1 रकवा 0.686 हे0 एवं भूमि खसरा नं0 377 में से रकवा 0.392 हे0 मौजा लवकुशनगर जिला छतरपुर म0प्र0 की भूमि अनावेदक क्र0 1 स्वामित्व की थी। जिसे निगरानीकर्ता ने 15 वर्ष पूर्व जेठ (जून माह) की पूर्णिमा को 300000 / – रूपये में क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त किया था।

2. यह कि निगरानीकर्ता ने उक्त भूमि में बोर बेल एवं रिहायसी मकान बनाकर परिवार सहित निवास करते हुये उक्त भूमि में सिंचाई कर सब्जी भाजी की फसल उगाकर कृषि कार्य करता है।

3. यह कि गैरनिगरानीकर्ता क्र0 2 एवं 1 ने आपस में षडयंत्र करते हुये प्रतिफल विहीन बनावटी विक्रय पत्र दिनांक 30.06.2015 निष्पादित करवा लिया। जिसकी जानकारी मिलने पर निगरानीकर्ता ने आपत्ति प्रस्तुत की जिस पर मामला विवादित होने से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय लवकुशनगर के समक्ष सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ। जिसका रा0प्र0क्र0 53 / अ–6 / 2014–15 है।

XXXIX(a)-BR (H)-11 राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ ....

प्रकरण क्रमांक 2616-एक/2016 निगरानी

जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों तथा अभिभाषकों के हस्ता.
5-8-16	यह निगरानी तहसीलदार लवकुशनगर ब्दारा प्रकरण क्रमांक 53 अ-6/2014-15 में पारित अँतरिम आदेश दिनॉक 2-8-2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ निगरानी मेमो के तथ्यों एंव आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को अनुसार स्थिति यह है कि मौजा लवकुशनगर स्थित भूमि सर्वे नंबर 380/1 रकबा 0.686 है. एंव सर्वे नंबर 377 में से रकबा 0.392 हैक्टर के विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु तहसीलदार लवकुशनगर के यहॉं प्रकरण क्रमांक 53/अ-6/ प्रचलित हुआ, जिसमें राजस्व निरीक्षक वृत्त लवकुशनगर ने स्थल निरीक्षण कर जॉच प्रतिवेदन दिनांक 21-6-2016 प्रस्तुत किया। पेशी 2-8-16 को तहसीलदार के समक्ष आवेदक मूलचंद ने राजस्व निरीक्षक को प्रतिपरीक्षण हेतु तलबी आवेदन के ब्दारा आग्रह किया, जिसकी प्रति अनावेदक को दी जाकर जवाव हेतु प्रकरण 9-8-16 को नियत किया गया, इसी अंतरिम आदेश दिनांक 2-8-16 के विरूद्व यह निगरानी की गई है। 3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंचभिक तर्को एंव निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार करने से परिलक्षित है कि आवेदक के पास तहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है एंव तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक को प्रतिपरीक्षण हेतु तलब करने अथवा न करने वावत् कोई निर्णय नहीं लिया है अपितु अनावेदक को आवेदक के आवेदन की प्रति देकर प्रकरण जवाव हेतु नियत किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। अतएव निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। सदस्य	